

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
आदेश

सं.- 10/निजी-01-1002/2026

पटना/दिनांक-

श्री नीरज कुमार (आई0डी0-जे0 10063), अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सारण नहर अवर प्रमंडल-02, सिवान का दिनांक-11.07.2025 से दिनांक-17.08.2025 तक कुल-38 (अड़तीस) दिनों के उपभोगित अवकाश अवधि को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 229, 230 एवं 248(क) के तहत उपार्जित अवकाश के रूप में घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-400(21) दिनांक-05.03.2026 द्वारा प्राप्त अवकाश आदेयता (दिनांक-10.07.2025 तक) के आलोक में 38 (अड़तीस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के उपरांत श्री कुमार के अवकाश लेखा में कुल-262 (दो सौ बासठ) दिनों का उपार्जित अवकाश आदेय है।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(सरफराज अहमद)
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक- 10/निजी-01-1002/2026

पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक-PCFC/IRR/BES/2024/2483-400(21) दिनांक-05.03.2026 एवं बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, बिहार, पटना के पत्रांक-1215 दिनांक-25.07.2024 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक- 10/निजी-01-1002/2026

पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि- मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक- 10/निजी-01-1002/2026

पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, सिवान को वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-400(21) दिनांक-05.03.2026 को संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-3186 दिनांक-14.08.2024 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनु०-यथोक्त।

ह०/-
अवर सचिव (प्रबंधन)।


ज्ञापांक- 10/निजी-01-1002/2026

पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि- श्री नीरज कुमार (आई0डी0-जे0 10063), अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सारण नहर अवर प्रमंडल-02, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक- 10/निजी-01-1002/2026 1672 पटना/दिनांक- 15/04/2026
प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई०टी०, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, पटना को
विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


अवर सचिव (प्रबंधन)